



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 540151

(प्रारूप-3)

सत्र 2023-24 में नवरस्थाप्ति की जाने वाली डिप्लोमा इन वार्षिकी संस्थानों की दृस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जान, याले नाटकी शपथ का प्रारूप :-

हम दिनेश चन्द्र यादव पुत्र श्री सुदामा यादव साम बनकटाशिय पोस्ट दुमरी(मटनी) जनपद देवरिया उठप्र० नाम अध्यक्ष एवं श्रीमती गीता देवी पुत्र ठौड़ण०आर० यादव गाम पोस्ट घाटी जनपद-देवरिया उठप्र० नान सचिव कमश अध्यक्ष एवं सचिव श्री दिनेश चन्द्र गीता गीता योग्यता देवी समाज सेवा दृस्ट गाम बनकटाशिय पोस्ट दुमरी(मटनी) जनपद देवरिया(उठप्र०) शपथपूर्वक निम्नवत व्यापार लाभते हैं।

1. यह कि हमारी दृस्ट द्वारा श्री दिनेश चन्द्र गीता कलेज ऑफ कार्मसी पाता बरुजाडिह जैगुन्धपुर जनपद-देवरिया उठप्र० नामक डिप्लोमा इन वार्षिकी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से तिया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी दृस्ट के नाम उपरवय भूमि बरुजाडिह मे गाटासराण्या 132 कुल रकवा 1.044 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी गाद किसी भी न्यायालय मे नहीं चल रहा है। और भूमि विकाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर दृस्ट के नाम पर उपरवय भूमि वो शाटासराण्या 132 एवं रकवा 1.044 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन वार्षिकी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव दृस्ट द्वारा बैठक 05.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगता डिप्लोमा कार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशी के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर दृस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों एवं कार्मसी काउनिसल आफ इण्डिया नई विल्स के निवासों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

गोविंद
१२५१०७

8. यह कि, इस संस्था में फार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राधिक शिक्षा परिषद रो सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रयोग क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राधिक शिक्षा परिषद, उ०४० लखनऊ रो सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वलास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय नियोजन में मानकानुसार कोई भी कभी पायी जाती है तो परिषद की नियोजन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

४० सचिव

४० अध्यक्ष
गोपनीय

GOVT OF INDIA
29.01.2023